भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

केंद्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

14 नवम्बर 2022

सर्वोच्च न्यायाल का ब्रम्हणीय निर्णय ईडब्लयुएस आरक्षण का विरोध करें! ब्रम्हणीय हिन्दुत्व फासीवाद का आरक्षण पर आक्रमक प्रयोजन जो आनुसुचीत जाती, अन्य पिछड़ा जाती और आदीवासी कें प्रतिकुल हैं, उसका विरोध करे!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी दृढ़ता पुर्वक सर्वोच्च न्यायाल का पांच सदस्या संविधान पीठ का ईडब्लयूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण निर्णय और 2019 के 103वें संविधान संशोधान को संविधानीक पदवी देने का निर्णय को कड़ित करती हैं। 7 नवम्बर 2022 को उच्च न्यायालय के पांच संविधान पीठ के ईडब्लयू एस निर्णय आरक्षण संदर्भ में, समाजिक न्याया आरक्षण कानुन जो अनुसुचित जाती, आदीवासी और अन्य पिछडा जाती के हीत मे हैं, उसको समाप्त करने का एक मार्ग हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को सशक्तिकरण प्रधान करने के लीए अन्य मार्ग ना देख कर भारतय जनता पार्टी का उदेशय 10 प्रतिसात्त आरक्षण का मकसद साफ हैं। अनुसुचित जाती, आदीवासी और अन्य पिछड़ा जाती को समाजिक समानिय बरा–बरी से वंचित करना हैं। यह आरएसएस – भीजेपी का नया भारत (हिन्दु राष्ट्रीय) के निर्णय का एक मंसूबा हैं।

7 नवम्बर 2022, कों उच्च न्यायाल के पांच संविधानक पीठ को जो प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई में केंद्रा द्धारा 2019, में लागु किए गए 103 वे संविधान संशोधान की वैधता को चुर्नोती देने वाली 40, यीचकाओ पर फैसला सुनाएय। सुप्रीम कोंट ने 3–2 के बहुमत से आर्थिक रूपसे कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण पक्ष में निर्णय दिया और 103वे अनुशोधन को संविधानीक बाता ते हुए अपने निर्णय में यह कहा हैं की, 10 प्रतिसात्त आरक्षण आर्थिक कमजोर वर्ग को प्रधान करने में संविधान की बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता हैं। हालाकि मुख्य धारा की मीडिया न्यायालय निर्णय को एक बिभजीत निर्णय बता रही हैं। बल की तथ्य कुछ और बात बताता हैं। सारे 5 न्यायाधीश का मिलि सहानभूति 103वें संविधान अनुसुधन के पक्ष मे ही हैं। दो न्यायाधीश जिसमे, पुर्वप्रधाण न्यदिस यूयू ललित और न्यायामुर्ती एस रवीद्रा भट ने अपनी पुरी सेमिति इस लिए नही देते है की उसमे ईडब्लयूएस अनुसूचित जाती, आदिवासी, पिछड़ा जाती इसे वंचित हैं। 1992 के इंद्रा साहानी उच्च न्यायालक निर्णय जो एक बढ़े संविधानक न्यायमुर्ति ओं का पीठ के निर्णय में 10, प्रतिसत्त आरक्षण को आर्थिक पिछड़ा वर्ग को देने का निर्णय असंविधानिक घेषित करती हैं। यह भी कही हैं की, आरक्षण 50 प्रतिसत्त धारा को पर नहीं कर सकती हैं। 7 नवम्बर के द्धारा अनुसूचित, आदीवासी और अन्य पिछढ़ा जाती के लोगो के लिए आरक्षण निष्फल और धुधला रहे जाएगा। वर्तमान के आरक्षण नीतिओ जो पिछढ़ा समाज के लोगो के लिए हैं, वह भी उन के लोगो के लिए उनके आबादी, कें दृष्टीकोण से देखा जाए तो वर्तमानीक आरक्षण नीति पर्याप्त साबित नही होती हैं। अनुसूचित जाती में 4.6, अनुसूचित आदिवासी मे 1.5 और अन्य पिछडा जाती मे 53 से 54 प्रतिशत्त प्रतिनिधित्व कम हैं। इस निर्णय द्धारा आरक्षण नीति जो समाजिक पिछडापन को हटाने मे झुड़ा है, उसको खतरे में ड़ाल चुखा हैं।

समाजिक पिछडापन, जो भारत देश में कही सदियों से भेदभाव का रीति–रिवाज कों चलाते आ रहा हैं, आरक्षण उस कें खिलाफ महत्वपुर्ण जारीया हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आरक्षण के प्रतित मौजुदा दृष्टीकोण को उलट–पलट कर दीया हैं। समाजिक पिछ़डापन जाती के आधार पर वंशगत रहता हैं, मगर अर्थिक कमजोर वर्ग जरूरी नहीं हैं की ओ वंशगत रहे। सुप्रमि कोर्ट का निर्णय और 103वें संशोधान अनुसुचित जाती, अनुसुचित आदीवासी और अन्य पिछडा जाती की लोगो कों आर्टीकल 15,(4), 15(5) 16,(4) कें जारीए 10 प्रतिसत्त ईड़ब्ल्युएस आरक्षण सें वंचित करती हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति के तहत सरकारी नौकरी मे और शिक्षा संस्थानो मे नियुति के संदर्भ मे अनुसुचित जाती, अनुसुचित आदीवासी और अन्य पिछडा जाती के लोगो के नियुक्ति गिरावट बरी मात्र मे देखने को मिलेगा आरक्षण नीति अपने शुरूआती समय से लेकर आजतक कभी संम्पुर्ण रूप से लागु नही कीया गाया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अम्बेदकर के विचार के खिलाफ जाती है। भाजपा सरकार अपनी शासन काल मे जन विरोधी कानुन ला कर देश को एक श्मशान गट मे परियवर्तन कर सुखा है। देश मे गरिब रेखा तैजी से बढ रहा है भाजपा सरकार के नीतियों के कारण।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केंद्रीय कमेटी आरक्षण नीतियों की ब्रम्हणीकरण करने की प्रक्रिया को खांड़ित करती हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी सारे प्रगतिशील लोकतांत्रिक, आदिवासी, जनसंगठन, दलित संगठन, बिसी संगठन, अम्बेदकरवादी संगठनों को इस दलित विरोधी, अम्बेडकर विरोधी, बीसी विरोधी और आदीवासी विरोधी, फासीवाद सरकार कें निर्णय कें खिलाफ जन आंदोलन करने कें लिए आहवान देती हैं।

अभय
प्रवक्ता
केंद्रीय कमेटी